राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

लोरमी, जिला - मुंगेली (छ.ग.)

स्थापना वर्ष - सितम्बर 1984

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) से सम्बद्ध

प्रवेश विवरणिका/आवेदन पत्र

INFORMATION & ADMISSION BROCHURE/APPLICATION FORM

R.G. GOVT. ARTS/COM. COLLEGE-LORMI

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना
मुंगेली (छ.ग.)

राजीव गांधी
शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

से सम्बद्ध

प्रवेश विवरणिका

1. आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका को ध्यान से पढ़ें ।
2. आवेदन पत्र में अपना संपर्क नं. अवश्य लिखें ।

RAJIV GANDHI GOVT. ARTS & COMMERCE COLLEGE

LORMI, Dist. Mungeli (C.G.)

प्राचार्य की कलम से...

राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में समस्त छात्र-छात्राओं का महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है । महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक तथा प्रवेश प्राप्त समस्त छात्र-छात्राओं के लिए यह विवरण पत्रिका अत्यंत उपयोगी है । इस महाविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों में अध्यापन के साथ-साथ शुल्क संबंधी जानकारी तथा अन्य गतिविधियों की झलकियां इस पत्रिका में दिया गया है । अतः छात्र-छात्राएं इसका अध्ययन अवश्य करें ।

हम चाहते है कि इस महाविद्यालय में अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं प्रवेश लेकर शासकीय सुविधाओं, योजनाओं एवं अध्ययन की उत्तम व्यवस्था का लाभ स्वयं के भविष्य निर्माण हेतु प्राप्त कर सके । आपके [illegible]णिक स्तर को उच्च प्रतिमान स्थापित करने में महाविद्यालय परिवार सदैव आपको सहयोग प्रदान करेगा ।

छात्र/छात्राओं से अपेक्षा है कि वे अनुशासन, लगन एवं अपने अध्ययन कार्य के साथ-सा[illegible]य के खेलकूद, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भाग लें जिससे आपके व्य[illegible]चित विकास हो सके ।

आइये हम सब मिलकर महाविद्यालय को विकास पथ पर आगे बढ़ने में अपना सहयोग दें ।

उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं सहित ....

(डॉ.एन.के.धुर्वे)

प्राचार्य

राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

लोरमी, जिला - मुंगेली (छ.ग.)

राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर सम्पन्न

आदिवासी संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृति

लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने से मिलती है सफलता

महाविद्यालय का परिचय

म.प्र. शासन द्वारा महाविद्यालय की स्थापना 28 सितम्बर 1984 को हुई थी। उस समय यहां केवल कला संकाय प्रारंभ किया गया । सन् 1989 में वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति मिली और महाविद्यालय ने 'शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय' का स्वरूप ग्रहण किया ।

स्नातकोत्तर स्तर (इतिहास) की कक्षा का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात सत्र 2001-2002 में एवं एम.ए.हिन्दी कक्षा का शुभारंभ सत्र 2011-12 से प्रारंभ हुआ । जनभागीदारी मद से एम.ए. राजनीति की कक्षा सत्र 2011-12 से एवं सत्र 2015-16 से एम.कॉम. की कक्षाएं संचालित है । सत्र 2016-17 से बी.एस-सी. बायो एवं गणित समूह प्रारंभ हुआ । यह महाविद्यालय बिलासपुर से 65 कि.मी. एवं मुंगेली से 28 कि.मी. की दूरी पर सामान्य क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में स्थित उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है । यह महाविद्यालय विकासखण्ड - लोरमी, तहसील - लोरमी, जिला मुंगेली के अंतर्गत स्थित स्नातक स्तर का मिश्रित वर्ग का महाविद्यालय है जहां छात्र-छात्रायें अध्ययनरत है । यह बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) के क्षेत्राधिकार में स्थित एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालय है ।

–00–

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

(1) विषय :-

महाविद्यालय में वर्तमान में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्नातक स्तर में निम्नलिखित विषयों के अध्यापन की व्यवस्था है ।

कला संकाय

बी.ए. भाग - एक

अनिवार्य प्रश्न - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा) पर्यावरण

ऐच्छिक विषय - निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें ।

1.	अंग्रेजी साहित्य	2.	अर्थशास्त्र
3.	इतिहास	4.	राजनीति विज्ञान
5.	समाजशास्त्र	6.	हिन्दी साहित्य

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षों के लिए विषय एक ही होंगे । विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।

बी.ए. भाग - दो

बी.ए. भाग-दो में वे ही विषय लेने होंगे जो बी.ए. भाग-एक में लिये गये थे ।

बी.ए. भाग-तीन

बी.ए. भाग-तीन में वे ही विषय लेने होंगे जो बी.ए. भाग-दो में लिये गये थे ।

नोट - शासन द्वारा बी.ए. में 180 सीट निर्धारित है ।

वाणिज्य संकाय

1. बी.कॉम. भाग-एक - सभी विषय अनिवार्य
2. बी.कॉम. भाग-दो - सभी विषय अनिवार्य
3. बी.कॉम. भाग-तीन - सभी विषय अनिवार्य

नोट - बी.कॉम. में 60 सीट निर्धारित है ।

विज्ञान संकाय (60 सीट)

1. बी.एस-सी. भाग - एक, दो, तीन (बायो ग्रुप) - प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र
2. बी.एस-सी. भाग - एक, दो, तीन (गणित ग्रुप) - गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र

महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय

1. एम.ए. (इतिहास - 40 सीट
2. एम.ए. (हिन्दी) - 30 सीट
3. एम.ए. (राजनीति शास्त्र) - 30 सीट

वाणिज्य संकाय

1. एम.कॉम - 25 सीट

2) कक्षाओं में प्रवेश हेतु नियम उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुदेशों एव निर्देशों के अधीन लागू होंगे ।

--00--

उपस्थिति :-

विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सत्र भर में प्रत्येक विषय की उपस्थिति अनिवार्य रूप से कम से कम 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है, परीक्षा फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व तक की स्थिति में यदि वांछित उपस्थिति न हो तो ऐसे छात्र को अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

उपरोक्त स्थानों के विरुद्ध प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र सूचना पटल पर घोषित तिथि तक आमंत्रित किये जावेंगे ।

उक्त तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्तांकों के आधार पर सूची प्रकाशित की जावेगी । इस सूची के प्रत्याशियों को 3 दिन के भीतर शुल्क जमा करना होगा, अन्यथा उनके स्थान पर सूची क्रम के अन्य आवेदकों को प्रवेश दे दिया जावेगा ।

आरक्षण :-

समय-समय पर शासन के आदेशानुसार कुल स्थानों के विरुद्ध सीटों का आरक्षण उपलब्ध होगा ।

परिचय पत्र :-

1. परिचय पत्र महाविद्यालय के छात्राओं के लिये अनिवार्य है । महाविद्यालय में प्रवेश करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र / छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है ।
2. परिचय पत्र को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखना छात्रा का कर्तव्य है।
3. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय, प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा ।
4. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय-पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. परिचय पत्र खो जाने पर 50/- रुपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु नया परिचय पत्र, शपथपत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा ।

शुल्क विनिमय :-

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा ।

2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह किस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दे ।

3. छात्राओं को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें । जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जावे, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए । अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा ।

4. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा ।

पुस्तकालय :-

महाविद्यालय के वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तकें, छात्रों के उपयोग हेतु उपलब्ध है । पुस्तकालय में पुस्तक आदान-प्रदान की नियमावली ग्रंथपाल के द्वारा प्रकाशित की जाती है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना :-

महाविद्यालय में रा.से.यो. की 100 स्वयंसेवकों की एक इकाई भी कार्यरत है जो छात्र-छात्राओं में राष्ट्रीय भावना एवं श्रम के महत्व को जगाने के लिये कार्यरत है ।

खेलकूद :-

महाविद्यालय में आवश्यक खेल सामग्री पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है । महाविद्यालय के भीतरी प्रांगण में बैडमिन्टन कोर्ट है तथा बाहरी परिसर में वॉलीबाल का मैदान बनाया गया है । इसके अतिरिक्त एथलेटिक्स, खो-खो कबड्डी, शतरंज, कैरम एवं अन्य खेल सुविधाएं उपलब्ध है ।

छात्रवृत्ति :-

समय-समय पर शासन द्वारा निर्देशित तरह-तरह की छात्रवृत्ति का प्रदाय भी होता है । इसके अंतर्गत आदिवासी, पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग छात्रों के शिक्षण शुल्क में छूट भी सम्मिलित है ।

अनुशासन :-

महाविद्यालय में शासन व विश्वविद्यालय द्वारा प्रावधानित अनुशासन के सभी नियमों का पालन छात्रों को करना अनिवार्य है।

कार्यकाल :-

महाविद्यालय में शिक्षण कार्य 10.30 से 05.30 बजे सायं तक होता है ।

विशेष टीप :-

लोरमी तहसील के स्थानांतरण पर आये शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों का शासकीय नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा । अन्य छात्र/छात्राओं का प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त की आवेदन तिथि तक ही दिया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में छात्रों के आचरण नियम :-

1. प्रत्येक छात्र अपना पूर्ण ध्यान महाविद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित प्रकार से अध्ययन कर लगावेगा । साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में भी पूरा-पूरा सहयोग देगा।
2. कॉलेज की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास की शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता में प्रत्येक छात्र विशेष रुचि लेगा और इन्हें कायम रखने में और सुधारने में सहयोग देगा। इसके विपरीत किसी भी प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से न तो भाग लेना और न दूसरों को उकसाएगा।
3. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में वह पूरी तरह सहयोग देगा और भाग लेगा और बिना प्राचार्य की अनुमति के कक्षा अथवा परीक्षा से अनुपस्थित नहीं रहेगा ।
4. प्रत्येक छात्र अपने व्यवहार में शिक्षकों एवं सहपाठियों से नम्रता और भाईचारे का व्यवहार करेगा और कभी अश्लील, अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा ।
5. विद्यार्थियों को सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिये । अतः विशेषतः कालेज या छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन सर्ववर्जित रहेगा । वेशभूषा में तड़क-भड़क अथवा विलासिता शोभा नहीं देता इसका ध्यान रखना होगा ।
6. छात्र/छात्राओं को यदि कोई कठिनाई हो तो गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से और शांतिपूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

7. आंदोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी प्रकार कठिनाइयों का अथवा मांगों का प्रदर्शन छात्र नहीं करेगा ।

8. छात्र सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीति दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप सहायता नहीं मांगेंगे ।

9. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।

10. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति जिस प्रकार बढ़े उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे ऐसा ही व्यवहार छात्रों को अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिये अथवा साथियों को इसकी प्रेरणा देनी चाहिये ।

11. आचरण के इन साधारण नियमों के भंग होने पर छात्रों को चाहिये कि दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड देने में सहयोग दें । जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य अध्ययन शांतिपूर्वक अनुशासन के साथ चल सके ।

12. विद्यार्थी को यह सावधानी होगी कि किसी अनैतिकता मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग उस पर न लगे परन्तु ऐसा हुआ तो उसका नाम तत्काल कालेज की प्रवेश पंजी में से हटा दिया जायेगा और वह कालेज में किसी भी छात्र प्रतिनिधि के पद पर भी नहीं बने रह सकेगा ।

13. प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि निम्नलिखित कारणों में से किसी एक अथवा अनेक के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को महाविद्यालय से पृथक कर दें -

    (क) कक्षा में ऐसे स्तर तक अध्ययन न कर पाने के असंतोष दशा में ।

    (ख) प्राचार्य की सम्मति में विद्यार्थी का आचरण संतोषजनक न होने पर ।

14. स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेते समय जब विद्यार्थी महाविद्यालय से जा रहा होगा तब अमानत राशि उसको वापस कर दी जावेगी इस निधि की वापसी के समय विद्यार्थी को पहली रसीद प्रस्तुत करनी होगी ।

15. किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा फार्म में उल्लेखित जानकारी आदि विद्यार्थी के द्वारा छुपाई जावेगी अथवा गलत प्रस्तुत की जावेगी तो विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और नियमानुसार उसे महाविद्यालय से बहिष्कृत किया जा सकेगा ।

16. इस विवरण पत्रिक में किसी भी नियम उपनियम अथवा अधिनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है और इस दिशा में विज्ञप्ति तथा प्रसारित सभी आदेश और निर्देश विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होंगें ।

आवश्यक - महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लेने चाहिए । इससे उसके हित के लिए आवश्यक सूचनाएं मिलेगी । पढ़ लेने से गलतियां करने से बचेंगे और उनका समय व्यर्थ नष्ट न होगा ।

नियम और आदेश :-

1. सामान्य

1. आप विद्यार्थी होने के नाते महाविद्यालय के सदस्य है और मर्यादा प्रतीक है आपसे आशा की जाती है कि आप सुसभ्य और शिष्ट व्यवहार करें अनुशासनहीन और अभद्र व्यवहार क्षमा के योग्य नहीं है।

2. महाविद्यालय की परंपरा निभाने के लिये बताये गये नियमों का पालन आपके लिये अनिवार्य है। आपके किसी भी अनुचित व्यवहार या किसी भी नियम के उल्लंघन करने पर आपके विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी ताकि महाविद्यालय का वातावरण दूषित न हो, दूसरे व्यक्ति की शांति भंग न हो पाए और उनकी मानसिक तथा नैतिक उन्नति के कार्य में कोई बाधा उपस्थित न हो।

3. महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक और अन्य कर्मचारी आपको सहायता करने के लिये तत्पर है। सहायता की आवश्यकता अनुभव होने पर उनसे वैयक्तिक सहायता ले सकते है।

2. निषेध

1. महाविद्यालय के शिक्षकों या अधिकारियों के प्रति वचन या व्यवहार द्वारा निरादर दिखाना तथा उनकी आज्ञा का उल्लंघन या अवहेलना करना।

2. महाविद्यालय में आये हुए किसी भी सम्माननीय अतिथि के प्रति निरादर प्रदर्शित करना जिससे संस्था का नाम नीचा हो।

3. अपने सहपाठियों से दुर्व्यवहार करना या अशिष्ट सम्पर्क करना।

4. जाली हस्ताक्षर करना या जाली कागजात बनाना, झूठा सर्टिफिकेट या झूठा बयान देना

5. वचन या कर्म द्वारा हिंसा अथवा बल का प्रयोग या उसकी धमकी।

6. शोर करके कक्षाओं में बाधा पहुंचाना या उनके सामने नारे लगाना।

7. दीवारों, दरवाजों पर लिखना और उन पर इश्तहार या विज्ञापन लगाना।

8. कक्षा या उसके सामने पान खाना व बीड़ी, सिगरेट पीना।

9. महाविद्यालय की सामग्रियों को क्षति पहुंचाया जाना।

3. परामर्श

1. रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है और इस संस्था में पूर्णतया प्रतिबंधित है । अतः रैगिंग गतिविधियों से दूर रहें ।

2. किसी भी दशा में आप अपने हाथ में कानून न लें और स्वयं का बल का प्रयोग न करें यदि आपकी कोई शिकायत हो तो सम्बद्ध अधिकारियों से रिपोर्ट करें वे उनकी छानबीन और अपराधी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगें ।

3. अनेक विद्यार्थी अपनी असावधानी के कारण कक्षाओं में नियमित रूप से आकर अध्ययन में संलग्न रहना चाहिये । यदि आप बीमार पड़ जाने के कारण कुछ दिन कक्षाओं में उपस्थित नहीं रह सके तो अच्छा होने के तुरंत बाद डाक्टर के प्रमाण पत्र सहित आपकी अर्जी कार्यालय में पहुंच जानी चाहिये ।

4. कक्षाओं में गुरूजन के व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के अतिरिक्त महाविद्यालय के पुस्तकालय में जाकर अच्छी-अच्छी पुस्तक और पत्र पत्रिकायें पढ़ने की आदत डालिये ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यादेश 2009 की कंडिका 3 के अनुसार :-
रैगिंग के अंतर्गत आने वाले कृत्य निम्नलिखित है :-

1. किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जिसमें बोले गये शब्द या किया गया काम जिसके द्वारा चिढ़ाना या रुखाई से पेश आना प्रतीत होता है ।

2. विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किया गया असत्य या अनुशासनहीन कृत्य जिसमें नये विद्यार्थी को क्रोध ा आए, किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक पीड़ा या डर उत्पन्न हो ।

3. ऐसा कोई कार्य जो कि शर्मनाक हो जिससे नये विद्यार्थी को शर्मिन्दगी, मानसिक पीड़ा या मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न हो ।

4. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया ऐसा कोई कार्य जो नये विद्यार्थी की अकादमिक गतिविधि में अवरोध उत्पन्न करें ।

5. किसी नवीन प्रवेशित छात्र य अन्य कोई छात्र शोषण करके अपने या अपने समूह के लिये अकादमिक कार्य कराना ।

6 किसी भी नये विद्यार्थी या अन्य किसी छात्र के ऊपर जबरदस्ती वित्तीय बोझ डालना ।

7 शारीरिक पीड़ा देने का कोई भी कृत्य जैसे अश्लील गतिविधियां, इशारेबाजी या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य।

8 शब्दों द्वारा पीड़ा पहुंचाना, ई-मेल करना, डाक द्वारा, सार्वजनिक अपमान करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर मानसिक संतोष प्राप्त करना इन सब कृत्यों में लिप्त होना या साथ देना ।

9 ऐसा कोई भी काम जो नये विद्यार्थी के मानसिक, स्वास्थ्य या उसके आत्मविश्वास को प्रभावित करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यादेश 2009 के कंडिका 9 के अनुसार :-

रैगिंग के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही :-

संस्था रैगिंग करने वाले विद्यार्थी को अपराधी पाये जाने पर निम्न प्रकार से सजा दे सकती है -

- एंटी रैगिंग कमेटी सभी रैगिंग की घटनाओं के तथ्यों तथा उनकी गंभीरता को देखते हुए रैगिंग स्क्वाड्स द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर उचित निर्णय लेगी ।
- एंटी रैगिंग स्क्वाड द्वारा सिद्ध किए गए अपराध का प्रकार एवं गंभीरता को देखते हुए एंटी रैगिंग कमेटी निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक सजा दे सकती है

1. अकादमिक सुविधाओं एवं कक्षाओं से निलंबन
2. छात्रवृत्ति, फेलोशिप और दूसरे लाभों से वंचित करना ।
3. किसी भी परीक्षा आंतरिक एवं अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना।
4. परिणाम रोकना
5. किसी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उत्सव प्रतियोगिता या युवा उत्सव में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
6. हॉस्टल से निलंबन या निष्कासन ।
7. प्रवेश निरस्त करना ।

--00--

प्रवेश संबंधी नियम

प्रवेश तिथि :

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है । प्रवेश समिति द्वारा छात्राओं की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र-छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा ।

प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र/छात्रा को 24 घंटे के भीतर अथवा निर्दिष्ट समय में प्रवेश शुल्क पटाना होगा।

प्रवेश पात्रता :-

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र-छात्रा प्रवेश पा सकेंगे-

1. बी.ए., बी.काम एवं बी.एस-सी. भाग -1

   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. बी.ए., बी.काम एवं बी.एस-सी. भाग -2

   क. बी.ए./बी.काम/बी.एस-सी. भाग-1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. बी.ए., बी.काम एवं बी.एस-सी. भाग -3

   क. बी.ए./बी.काम/बी.एस-सी. भाग-2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

4. एम.ए., एम.कॉम. एवं एम.एस-सी. पूर्व

   क. विश्वविद्यालय की बी.ए., बी.कॉम., या बी.एस-सी. भाग-3 की परीक्षा उत्तीर्ण हो या

   ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

5. एम.ए., एम.कॉम. एवं एम.एस-सी. अंतिम

   क. विश्वविद्यालय की एम.ए., एम.कॉम. एवं एम.एस-सी. पूर्व की परीक्षा उत्तीर्ण हो या

   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

प्रवेश नियम :-

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।